न्यायालय– जिला न्यायाधीश, भदोही

उपस्थित– श्री अखिलेश दूबे
(एच0 जे0 एस0)
JO.CodeNo.– UP 5725

सिविल निगरानी संख्या–06 सन् 2025

<u>CNRNO.UPSN01–000276–2025</u>

1. रामराज उम्र लगभग 62 वर्ष
2. गजराज उम्र 60 वर्ष | पुत्रगण राम लोटारन
3. रामरती उम्र 52 वर्ष पुत्र तीजू
4. राजेन्द्र कुमार उम्र 54 वर्ष पुत्र सुदामा
5. मिल्लू उम्र 70 वर्ष पुत्र नैनू

निवासीगण ग्राम तेजसिंहपुर तालुका चौथार तहसील व जिला भदोही।

..............निगरानीकर्तागण(प्रतिवादीगण)।

बनाम

अशर्फी देवी उम्र लगभग 81 वर्ष पत्नी सर्वजीत निवासी ग्राम तेजसिंहपुर तालुका चौथार तहसील व जिला भदोही। .... .विपक्षी(वादिनी)।

<u>निर्णय</u>

1. यह सिविल निगरानी न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, भदोही–ज्ञानपुर द्वारा मुकदमा संख्या 414 सन् 2008 अशर्फी देवी बनाम रामराज में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–20.12.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादिनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 43 क बाबत् किये जाने संशोधन वादपत्र, स्वीकार किया है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी द्वारा मुकदमा संख्या 414 सन् 2008 अशर्फी देवी बनाम रामराज बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विपक्षी रामराज के विरूद्ध न्यायालय में दाखिल किया। दौरान विचारण वाद वादिनी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र 43 क प्रस्तुत कर कथन किया कि मुकदमा दाखिल करने के दौरान वादिनी अशर्फी देवी का उपनाम बरफी देवी लिखने से छूट गया था। साक्ष्य शपथपत्र तैयारी करने के दौरान अशरफी देवी का उपनाम बरफी देवी संज्ञान में आया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्षित करते हुए कि नैसर्गिक न्याय के मुताबिक पक्षकारों को अपना केस प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए एवं पक्षकारों के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियां रिकार्ड पर आने चाहिए। तदानुसार, वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 43 क हर्जे पर स्वीकार किया गया। उक्त आलोच्य आदेश से क्षुब्ध होकर यह दीवानी निगरानी दाखिल किया गया है।

3. निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण की ओर से अपने आधार निगरानी में कहा गया कि विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश अनुचित, अनियमित, अशुद्ध एवं अवैध है, जिससे निगरानीकर्तागण के साथ महान अन्याय हुआ है। मूल वाद में वादिनी अशर्फी देवी का साक्ष्य शपथ पत्र दिनांक 11–02–2014 को प्रस्तुत किया गया और वादिनी विपक्षी सं० 1 की प्रतिपरीक्षा समाप्त हुई इसके पूर्व विपक्षी सं0 1 वादिनी ने अपने मौखिक साक्ष्य में इन्द्रजीत पुत्र राम अचर्ज का साक्ष्य शपथपत्र दिनांक 18–07–2013 को ही प्रस्तुत किया, जिसकी भी प्रतिपरीक्षा समाप्त हो गई। वादिनी जो निहायत चालाक व

फितरजबाज किस्म की महिला है, ने मुकदमा उक्त में अपना तथा अपने साक्षी को परिक्षित कराने के पश्चात वाद पत्र के उनवान में विपक्षी सं० 1 अपने नाम के आगे उर्फ बर्फी देवी अंकित किये जाने हेतु वाद पत्र में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जबकि मूलवाद में संलग्न खतौनी में भी प्रश्नगत भूखण्ड पर अशर्फी देवी का नाम ही अंकित है। ऐसी दशा में अशर्फी देवी का उपनाम बर्फी देवी कभी नहीं रहा। बर्फी देवी व अशर्फी देवी दो भिन्न–भिन्न महिलायें रही और वादिनी अशर्फी देवी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा न होने के कारण तथा अशर्फी देवी द्वारा अपनी कमजोरी समझ कर मूलवाद की पैरवी से विरत होने पर बर्फी देवी, जो अन्य महिला है तथा सर्वजीत की दूसरी पत्नी है। मुकदमा मजकूर में वादिनी (विपक्षी सं01) के नाम के आगे उर्फ बर्फी देवी अंकित किये जाने हेतु वाद पत्र में संशोधन हेतु गलत कथानक के साथ प्रार्थना पत्र संशोधन प्रस्तुत किया कि विपक्षी सं० 1 वादिनी का ही उपनाम बर्फी देवी है। ऐसी दशा में विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में वादिनी (विपक्षी सं० 1) का बयान अंकित होने के पश्चात तथा प्रस्तुत वाद दाखिल होने के 7 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र संशोधन 43 क के प्रस्तुतिकरण में हुये विलम्ब को न तो स्पष्ट किया है और न ही कोई उचित कारण ही प्रदर्शित किया है, जबकि वादिनी (विपक्षी सं० 1) को यदि विपक्षी सं० 1 का उपनाम बर्फी देवी रहा होता तो तथ्य उक्त की जानकारी वादिनी को वाद प्रस्तुत करने के समय से ही रही, अपितु इसके वादिनी (विपक्षी सं० 1) स्वयं अपने को परिक्षित करते समय अपना उपनाम बर्फी देवी अपने साक्ष्य शपथ पत्र में अंकित नहीं कराया। ऐसी दशा में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादिनी के आईडेन्टीटी को बदलने हेतु बिना किसी मस्तिष्क का प्रयोग किये मात्र सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र 43 क स्वीकार करके अपने में निहित अधिकारों का विधि विरूद्ध प्रयोग किया है जिससे निगरानीकर्तागण के साथ महान अन्याय हुआ है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने प्रश्नगत निर्णय में प्रार्थना पत्र 43 क में अंकित अभिकथनों जिसको सिद्ध करने का भार विपक्षी सं० 1 वादिनी पर रहा को प्रतिवादी पर आरोपित करके घोर न्यायिक भूल की है। ऐसी दशा में विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकी 20–12–2024 विधि के विरूद्ध है और खण्डित किये जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता द्वारा जो विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत किये गये विधि व्यवस्था को न तो उल्लिखित किया और न उसको निष्कर्षित किया है। ऐसी दशा में विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 43 क के निस्तारण के समय अपने में निहित अधिकारों का अनुचित रूप से प्रयोग किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 43 क के निस्तारण के समय संशोधित आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में दिये गये उपबन्धों को न तो विधिक मस्तिष्क से समझा और न उसे विधिक रूप से निष्कर्षित ही किया है। फलतः विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश विधि विरूद्ध है और खण्डित किये जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश मात्र कल्पनाओं एवं सम्भावनाओं पर आधारित है और खण्डित किये जाने योग्य है।अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 20.12.2024 खण्डित कर निगरानी स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

4. विपक्षी/वादिनी द्वारा आधार अपील के विरुद्ध आपत्ति कागज सं० 17 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उक्त निगरानी गलत मजमून के साथ खिलाफ कानून महज मुकदमें की बहुलता व पेचीदगी पैदा करने की गरज से प्रस्तुत की गयी है, जो कत्तई स्वीकार होने योग्य नहीं है। रिस्पॉन्डेन्ट अशर्फी देवी का नाम बर्फी देवी भी है, प्रार्थना पत्र 43 क में रिस्पॉन्डेन्ट ने स्पष्ट कहा है कि वादिनी /रिस्पॉन्डेन्ट के अलावा सर्वजीत की

अन्य कोई पत्नी नहीं थी, न है, जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता के आपत्ति 45ग दाखिल किया, जिसमें उसने वादिनी के प्रार्थना पत्र की दफा 7 में किये गये कथन की कोई आपत्ति नहीं की, फिर अपनी कमजोरी को समझते हुए ग्राउन्ड्स आफ निगरानी में किसी दूसरी पत्नी का जिक्र किया है, जो कत्तई बिला किसी साक्ष्य के है। वादिनी/रेस्पॉन्डेन्ट की तरफ से मूलवाद में जरिये फेहरिस्त 10 किता कागजात दिनांक 25.10.2016 को दाखिल किये गये है, जिसमें वादिनी के नाम से आराजी नंबर 168 मि० हेतु भू० प्र० स० का प्रस्ताव दिनांक 18.04.1988 को हुआ था, जिसकी स्वीकृति (approval) उप जिलाधिकारी भदोही द्वारा दिनांक 03.05.1988 को किया गया प्रस्ताव में रेस्पान्डेन्ट/वादिनी का नाम बर्फी देवी लिखा गया था। दिनांक 03.05.1988 के स्वीकृति के तीसरे दिन यानी 05.05.1988 को पंचायत राज प्रपत्र सं० 7 की रसीद तथा उसी दिन यानी 05.05.1988 को वादिनी के दूसरे नाम असर्फी देवी के रूप में आराजी नंबर 49 चक की रसीद भूमि प्रबन्धक समिति/अध्यक्ष ग्राम तेजसिंहपुर द्वारा जारी की गयी। इस प्रकार बर्फी के नाम के प्रस्ताव की स्वीकृति दिनांक 03.05.1988 को होने के बाद बर्फी देवी के दूसरे नाम असर्फी देवी को तीसरे दिन यानी 05.05.1988 को रसीद मिला। अब निगरानीकर्ता ने उक्त तथ्यों का कोई विरोध न तो राजस्व न्यायालय में न ही अधीनस्थ न्यायालय में किया। अपनी आपत्ति कागज सं० 45ग में सर्वजीत को 2 पत्नी होने का जिक्र नहीं किया। जब अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थनापत्र 43क स्वीकार कर लिया। तब झूंठे कथनों के आधार पर निगरानी दाखिल कर दिया है। वादिनी/रिस्पॉन्डेन्ट द्वारा जो संशोधन प्रार्थनापत्र 43क दिया गया था, वह वादपत्र के अभिवचनों में संशोधन करने के लिए नहीं दिया था। मात्र उनवान में संशोधन करने के लिए दिया था। आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी में संशोधन का जो प्राविधान वर्ष 2002 के संशोधन में दिया गया है, वह अभिवचन के तथ्य के बारे में दर्शित है। जबकि वादिनी/रिस्पॉन्डेन्ट ने कोई संशोधन वादपत्र अभिवचन में नहीं दिया है। प्रार्थनापत्र 43क में संशोधन हेतु किए गये कथन मात्र उनवान में नाम के आगे उर्फ के साथ दूसरे नाम को दर्ज करने हेतु दिया गया है, जो कत्तई वादिनी द्वारा किसी अभिवचन को न तो वापस लिया जा रहा है, न ही अभिवचन में कोई परिवर्तन किया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं हो रही है , न ही उससे प्रतिवादीगण/निगरानीकर्ता को किसी प्रकार की क्षति सम्भावित है। निगरानी निराधार व विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता या अनियमितता व अनौचित्यता नहीं है।

5. निगरानीकर्तागण द्वारा विपक्षी/वादिनी के आपत्ति के विरुद्ध जवाब कागज सं० 18ग प्रस्तुत कर कथन किया गया कि कथन विपक्षी कि सर्वजीत की कोई अन्य पत्नी नहीं थी, काल्पनिक एवं असत्य है। सर्वजीत की दो शादी हुई थी, पहली पत्नी के देहान्त होने के पश्चात सर्वजीत की शादी अशर्फी देवी के साथ अर्सा 30 साल पूर्व हुई है। विपक्षी मात्र अपने कमियों को छिपाने हेतु अपने सशपथ बयान के पश्चात अपने नाम के आगे उर्फ बर्फी देवी अंकित कराने हेतु प्रार्थना पत्र संशोधन विचारण न्यायालय में दिया है और विचारण न्यायालय के पत्रावली में कोई ऐसा साक्ष्य विपक्षी ने प्रस्तुत नहीं किया है कि विपक्षी बर्फी देवी का उपनाम बर्फी देवी भी रहा, अपितु इसके विचारण न्यायालय ने आदेश 6 नियम 17 संशोधित व्यवहार प्रक्रिया संहिता का अनुपालन न करके अपने में निहित अधिकारों का विधि विरुद्ध प्रयोग करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया है। ऐसी दशा में विपक्षी का आपत्ति पत्र के दफा 3 का सम्पूर्ण कथानक काल्पनिक एवं असत्य है।

विचारण न्यायालय के समक्ष विपक्षी के उपनाम को अंकित किये जाने हेतु विपक्षी ने विचारण न्यायालय के समक्ष स्पष्ट व संतोषजनक कारण भी प्रदर्शित नहीं किया है। विपक्षी ने मात्र न्यायालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से अपने आपत्ति पत्र के दफा 3 में लाताल्लुक तथ्य का उल्लेख किया है। विचारण न्यायालय ने विपक्षी के आईडेन्टिटी को अशर्फी के आगे उपनाम बर्फी देवी अंकित किये जाने से वादिनी की आईडेन्टिटी के परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई कारण न तो प्रश्नगत आदेश में विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया है और न ही विपक्षी ने ही कोई साक्ष्य , तथ्य उक्त के निस्वत ही प्रस्तुत किया है। ऐसी दशा में आपत्ति पत्र विपक्षी काल्पनिक है और मात्र न्यायालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है।

6. निगरानीकर्तागण की ओर से सूची 8 ख से सत्य प्रतिलिपि नकल आदेश दिनांकित 20.12.2024 मुकदमा सं० 414 सन् 2008 अशरफी देवी बनाम रामराज कागज सं० 9 ग/1–2, सत्य प्रतिलिपि नकल फार्मल आर्डर कागज संख्या 10 ग/1–2, सत्य प्रतिलिपि नकल साक्ष्य शपथपत्र अशरफी देवी मुकदमा सं० 414 सन् 2008 अशरफी देवी बनाम रामराज कागज सं० 11 ग/1–5, सत्य प्रतिलिपि नकल साक्ष्य शपथपत्र इन्द्रजीत मुकदमा सं० 414 सन् 2008 अशरफी देवी बनाम रामराज कागज सं० 12 ग/1–5 दाखिल किया गया है।

7. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना, आधार निगरानी एवं तलबशुदा मूल वाद की पत्रावली का अवलोकन किया।

8. प्रश्नगत आदेश दिनांकित 20.12.2014, जो विद्वान सिविल जज (जू०डि०) भदोही द्वारा मूलवाद सं० 414 सन् 2008 अशरफी देवी बनाम रामराज में पारित किया गया है, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि नैसर्गिक न्याय के मुताबिक पक्षकारों को अपना केस प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए एवं पक्षकारों के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को रिकार्ड पर आना चाहिए। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध यह आधार व तर्क दिया गया कि वादिनी अशर्फी देवी की पहचान प्रश्नगत आदेश के द्वारा संशोधन से परिवर्तित हो रही है। यह भी तर्क दिया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष नहीं दिया है कि प्रस्तावित संशोधन पक्षकारों के मध्य वास्तविक विवाद के निस्तारण के लिए आवश्यक है तथा पूर्व में प्रारम्भिक स्तर पर संशोधन क्यों नहीं किया जा सका , इन बिन्दुओं पर वादिनी/प्रत्यर्थी का स्पष्टीकरण नहीं था। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में विधि व्यवस्था हरिनारायण बनाम शांति देवी 2019 (4) ए.डब्लू. सी. पृष्ठ 3814 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये विधिक अभिमत का उल्लेख किया गया, जिसमें तथ्यगत स्थिति यह थी कि एस.सी.सी. वाद सं० 31/2012 वर्ष 2012 में संस्थित किया गया था और मुकदमें में संशोधन प्रार्थना पत्र मुकदमें का विचारण प्रस्तुत होने पर प्रस्तुत किया गया था।, पूर्व में संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न किये जा सकने के सम्बन्ध में केवल नये अधिवक्ता का नियुक्त किया जाना कहा गया है, जो विद्वान अपर जनपद न्यायाधीश द्वारा न्यायोचित आधार न पाते हुए संशोधन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था, जिसके विरुद्ध संस्थित पुनरीक्षण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करते हुए यह उल्लेख किया गया कि प्रश्नगत आदेश में कोई कमी/त्रुटि दर्शित नहीं की गयी है और पूर्व में संशोधन न किये जा सकने का कोई संतोषजनक कारण/स्पष्टीकरण नहीं था।

9. वादिनी/प्रत्यर्थी की तरफ से यह तर्क दिया गया कि प्रश्नगत आदेश पूर्णतः विधि सम्मत व सही है। प्रस्तावित संशोधन द्वारा केवल अशर्फी देवी के नाम के आगे वाद के उनवान में बर्फी देवी लिखा गया है, इससे न तो मुकदमें का कोई तथ्य परिवर्तित होता है, न वाद की प्रकृति परिवर्तित होती है, न ही वादिनी की पहचान परिवर्तित होती है। यह तर्क दिया गया कि वादिनी के पति का नाम सर्वजीत है। जो प्रस्ताव गांवसभा द्वारा दिनांक 18.04.1988 को हुआ था, उसमें बर्फी देवी का नाम लिखा गया था तथा जिसकी स्वीकृति दिनांक 03.05.1988 को हुई और दिनांक 05.05.1988 को पंचायतराज प्रपत्र संख्या 7 की रसीद अशर्फी देवी के नाम से जारी हुई। कहा गया कि अशर्फी देवी का दूसरा नाम बर्फी देवी भी था। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्ताव की प्रति व रसीद की प्रति दाखिल होना दर्शित किया गया है। वादिनी /प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवस्था रामआसरे बनाम ज्ञानबाबू एवं अन्य 2006 All. C.J. 1951 तथा विधि व्यवस्था रमेश कुमार अग्रवाल बनाम राजमाला एक्सपोर्ट्स प्रा० लि० एवं अन्य 2012 All. C.J. 1994 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये विधिक अभिमत का उल्लेख किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने में उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और मुकदमेंबाजी को छोटा/कम करने के लिए संशोधन स्वीकृत किया जाना चाहिए। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि ऐसे सभी संशोधन जो पक्षकारों के मध्य वास्तविक विवाद के निस्तारण के लिए आवश्यक हैं, वे आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन स्वीकृत किये जाने चाहिए।

10. प्रस्तुत मामले में विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को अपना केस प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने की आवश्यकता वर्णित किया है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तावित संशोधन पक्षकारों के मध्य वास्तविक विवाद के निस्तारण के लिए आवश्यक है, का निष्कर्ष दिया गया है। जहां तक विलम्ब का प्रश्न है प्रत्यर्थी/वादिनी की तरफ से यह कहा गया है कि मुकदमें की अग्रिम तैयारी के दौरान/साक्ष्य शपथपत्र के दौरान उपनाम बर्फी देवी न लिखे होने की जानकारी हुई, तत्पश्चात संशोधन प्रार्थना पत्र दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली पर कागज सं० 50ग गांवसभा की कार्यवाही रजिस्टर्ड की प्रमाणित प्रति दाखिल है, जिस पर क्रम सं० 7 पर बर्फी पत्नी सर्वजीत का नम्बर मि० 168 में पट्टा का प्रस्ताव है। कागज सं० 51ग/1 उसके अनुमोदन/स्वीकृति की सत्यप्रतिलिपि है। भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर आपत्ति न होने के सम्बन्ध में ग्रामसभा की तरफ से दी गयी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति कागज सं० 52 ग, नकल खतौनी 53ग में अशर्फी देवी पत्नी सर्वजीत को गाटा सं० मि० 168 में अकृषक उपयोग के लिए पट्टे के बाबत की गयी, भूमि की प्रवृष्टि है। कागज सं० 54ग अशर्फी देवी द्वारा कब्जे के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, कागज सं० 55ग पट्टे की रसीद अशर्फी देवी पत्नी सर्वजीत के नाम, नकल जोत चकबन्दी आकारपत्र 41 कागज सं० 56ग है।

11. विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश में यह उल्लेख किया है कि ऐसा कोई साक्ष्य/अभिलेख नहीं है, जिससे अशर्फी पत्नी सर्वजीत व बर्फी देवी पत्नी सर्वजीत का अलग व्यक्ति व पहचान होना दर्शित हो। संशोधन प्रार्थना पत्र विलम्ब के कारण हर्जे पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है।

12. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 20.12.2024 में कोई तात्विक अनियमितता या अवैधानिकता नहीं पायी जाती है। प्रश्नगत आदेश विधि के अनुकूल होने के कारण उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदानुसार, सिविल निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

13. प्रस्तुत सिविल निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित अविलंब वापस की जाये।

दिनांक 18.03.2026

(अखिलेश दूबे)
जिला न्यायाधीश
भदोही।
J.O.CodeNo.– UP 5725

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 18.03.2026

(अखिलेश दूबे)
जिला न्यायाधीश
भदोही।
J.O.CodeNo.– UP 5725

Digitally signed by AKHILESH DUBEY
Date: 2026.03.18 16:56:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court